भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2786
12 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पड़ोसी जल क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों की सुरक्षा

2786 श्री ए. ए. रहीम

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के प्राधिकारियों / व्यक्तियों द्वारा हिरासत में लिए गए, घायल किए गए और मारे गए भारतीय मछुआरों की संख्या वर्ष-वार और देश-वार कितनी-कितनी है;
(ख) क्या मंत्रालय के पास ऐसे मछुआरों की संख्या, जिन्हें स्वदेश वापस भेज दिया गया है, जो अभी भी हिरासत में हैं और साथ ही प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे या सहायता के बारे में आंकड़े उपलब्ध हैं;
(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा हिरासत में लिए गए मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु पड़ोसी देशों के साथ यह मुद्दा उठाया है; और
(घ) सीमावर्ती समुद्री क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय मछुआरों की सुरक्षा और विधिक संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय (MEA) और अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से राजनयिक एवं द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से विदेशी देशों की हिरासत में भारतीय मछुआरों और मत्स्यन नौकाओं को पकड़े जाने तथा उनकी शीघ्र रिहाई से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों का विवरण, जिसमें स्वदेश वापस लाए गए और मृत मछुआरे शामिल हैं, अनुलग्नक में दिया गया है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के तहत, प्रभावित मछुआरा परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई अलग से स्वतंत्र गतिविधि का प्रावधान नहीं है। हालांकि, इस विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ आजीविका सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें बाइवाल्व कृषि, समुद्री शैवाल कृषि, मत्स्यपालन, अंतर्देशीय केज कल्चर, खुले समुद्र में केज कल्चर, गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों, मौजूदा मत्स्यन जहाजों के उन्नयन, मूल्य संवर्धन इकाइयों, मत्स्य कियोस्क, ऑर्नामेंटल मात्स्यिकी, मत्स्य परिवहन वाहनों की तैनाती और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। यह योजना पड़ोसी देशों द्वारा पकड़े जाने से प्रभावित मछुआरों सहित सभी पात्र लाभार्थियों के लिए खुली है।

इसके अतिरिक्त, सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के यंत्रीकृत और मोटर चालित जहाजों को कवर करते हुए एक लाख समुद्री मत्स्यन जहाजों पर स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसपोंडर की स्थापना के लिए पोत संचार और सहायता प्रणाली (VCSS) की एक राष्ट्रीय रोलआउट योजना कार्यान्वित की जा रही है। VCSS एक उपग्रह आधारित द्वि-मार्गी संचार प्रणाली है, जो समुद्र में गए मछुआरों की संरक्षा और सुरक्षा में मदद करती है, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान अलर्ट जारी करती है, संभावित मत्स्य पालन क्षेत्रों (PFZ), जियो-फेंसिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) की जानकारी देती है और नभमित्र ऐप के साथ एकीकृत है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गियर और जाल के आकार के नियमों को कड़ाई से लागू करने, मत्स्य स्टॉक के जीर्णोद्धार के लिए 61 दिनों की अवधि के लिए समान रूप से मत्स्यन पर प्रतिबंध जैसे संरक्षण और प्रबंधन उपायों को लागू करने, बुल या पेयर ट्रॉलिंग जैसी विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं और भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्यन के लिए कृत्रिम LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए परामर्श भी जारी करता है। इसके अलावा, मत्स्य स्टॉक की पूर्ति के लिए तट के किनारे कृत्रिम रीफ स्थापित करने और सी रेंचिंग जैसे संरक्षण उपाय भी किए जाते हैं।

इसके अलावा, संबंधित राज्य सरकारें पड़ोसी देशों द्वारा पकड़े गए मछुआरों के परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। तमिलनाडु सरकार और गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पड़ोसी देशों द्वारा हिरासत में लिए गए मछुआरों के परिवारों को पकड़े जाने की तिथि से लेकर उनकी रिहाई तक क्रमशः 500 रुपए प्रति दिन और 300 रुपए प्रति दिन की राहत सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (घ): सरकार द्विपक्षीय तंत्र, राजनयिक चैनलों और विभिन्न आधिकारिक वार्ताओं के माध्यम से विदेशी सरकारों के साथ इन मुद्दों को लगातार उठाती रही है, जिसमें भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि संबंधित देशों में भारतीय दूतावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और कानूनी सहायता सहित आवश्यक मदद व सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। भारतीय मिशन रिहा किए गए मछुआरों की भारत वापसी की सुविधा के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज़ भी प्रदान करते हैं। भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के साथ-साथ उनकी नौकाओं की रिहाई के लिए हर संभव सहायता दी जाती है। विदेशी सरकारों के साथ इस मुद्दे को लगातार उठाया जाता है, और इस बात पर महत्व दिया जाता है कि इस मामले पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार की योजनाओं के तहत, मत्स्यन जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाए जा रहे हैं ताकि वास्तविक समय में स्थिति की जानकारी मिल सके। इससे मछुआरे अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) को पार करने से बचते हैं और मत्स्यन के संचालन के दौरान सुरक्षा बढ़ती है।

इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के जहाज भारतीय मछुआरों को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने तथा सीमा पार मत्स्यन उल्लंघनों को रोकने के लिए IMBL के पास व्यापक निगरानी रखते हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में निगरानी के लिए भारतीय तटरक्षक बल के विमानों को भी तैनात किया जाता है। तटरक्षक बल (ICG) तटीय मत्स्यन गांवों में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों (CIPs) के माध्यम से मछुआरा समुदाय के साथ नियमित संवाद बनाए रखता है। इन सामुदायिक वार्ताओं के दौरान, मछुआरों को समुद्र में सुरक्षा, जीवन रक्षक उपकरणों और संचार उपकरणों के उपयोग तथा IMBL के करीब काम करने या उसे पार करने के खतरों के बारे में सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे चालक दल की गिरफ्तारी और उनकी नौकाओं की जब्ती हो सकती है।

अनुलग्नक

पड़ोसी जल क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों की सुरक्षा के संबंध में 12 अगस्त, 2026 को माननीय राज्यसभा सांसद, श्री ए. ए. रहीम द्वारा पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2786 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

विगत तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के प्राधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों का देश-वार विवरण, जिसमें स्वदेश वापस लाए गए और मृत मछुआरे शामिल हैं:

क्रम संख्या	**देशानुसार**	**वर्षवार**	**हिरासत में लिया**	**भारतीय मछुआरों की मृत्यु**	**स्वदेश भेजे गए मछुआरों की संख्या**
1.	श्रीलंका	2023	240	शून्य	240
		2024	560	01	255
		2025	360	शून्य	358
		2026 (04.08.2026 तक)	146	शून्य	123
2.	बांग्लादेश	2023	04	शून्य	बांग्लादेश की हिरासत में मौजूद सभी भारतीय मछुआरों को स्वदेश वापस भेज दिया गया है।
		2024	95	शून्य	
		2025	71	01	
		2026	शून्य	शून्य	
3.	पाकिस्तान	2023	09	04	2014 से अब तक पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरों को वापस लाया गया है और अभी 198 भारतीय (या जिनके भारतीय होने का संदेह है) मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं।
		2024	27	03	
		2025	07	03	
		2026 (04.08.2026 तक)	शून्य	01	
4.	ईरान	2024	शून्य	शून्य	शून्य
		2025	02 (2025 में रिहा और स्वदेश वापस भेजे गए)	शून्य	02
		2026	शून्य	शून्य	
